मध्यप्रदेश विधान सभा

जून–अगस्त, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 30 जुलाई, 1990 (श्रावण 8, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1984–85 (वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 1985 के लिए) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निर्यात निगम मर्यादित का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे.

(3) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का दिनांक 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन क्रमांक 6 (वाणिज्यिक) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री नरेन्द्र शर्मा, सदस्य, बिलासपुर जिले के शक्तिनगर निवासी एक महिला की दहेज लोभियों द्वारा हत्या करने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री धनेश पटिला/रविन्द्र चौबे/ठाकुर दरबार सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम गड़ई में हुई डकैती की घटना की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री चन्द्रशेखर साहू, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

45 मिनट (1) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 17 सन् 1990) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घण्टा 30 मिनिट (2) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान विधेयक, 1990 (क्रमांक 15 सन् 1990) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 22 सन् 1990) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. संविहित संकल्प

1 घण्टा श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

"यह सदन मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल द्वारा विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 65 के अन्तर्गत ऋण लेने की अधिकतम धन राशि रुपये 2850 करोड़ (रुपये अट्ठाईस सौ पचास करोड़) शासन द्वारा नियत किये जाने के लिये अनुमोदन प्रदान करता है."

7. नियम 130 के अधीन सामान्य लोक हित के विषय पर चर्चा

1 घण्टा श्री श्यामाचरण शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष एवं 34 सदस्यों द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सूदखोरी समाप्त किये जाने संबंधी पृथक्तः वितरित प्रस्ताव पर चर्चा होगी.

भोपाल :

दिनांक 28 जुलाई, 1990

विश्वेन्द्र मेहता

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.